

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञापित

यू0पी0सी0एल0 टैरिफ आदेश दिनांक 10.04.2010 वित्तीय वर्ष 2010-11 – विशेषताएँ

पृष्ठभूमि

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 एवं 62 के साथ पठित 64(1) एवं सपटित उविनिआ0 (कारोबार का संचालन) विनियम, 2004 के अंतर्गत लाइसेन्सी द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ के निर्धारण किये जाने हेतु पीटिशन दायर किये जाने की आवश्यकता होती है। इसी के क्रम में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं खुदरा टैरिफ के निर्धारण किये जाने हेतु यू0पी0सी0एल0 द्वारा आयोग के समक्ष टैरिफ पीटिशन दायर की गई।

यू0पी0सी0एल0 के प्रस्ताव

- वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये 24% के वितरण हानि स्तरों को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost) एवं अन्य व्ययों को मिलाये जाने हेतु यू0पी0सी0एल0 द्वारा कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता के रूप में रू0 2,737.78 करोड़ प्रक्षेपित किये गये हैं। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु वर्तमान टैरिफस् में रू0 437.74 का राजस्व अंतर प्रक्षेपित किया गया है। उक्त राजस्व अंतर को पूरा किये जाने हेतु यू0पी0सी0एल0 द्वारा 18.93% की सम्पूर्ण टैरिफ वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया है।
- विद्युत अपीलीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या-85 of 2008 एवं आई.ए. सं0-114 of 2008 दिनांक 06 अक्टूबर, 2009 के अंतर्गत आयोग को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 01 मार्च, 2008 से 30 सितम्बर, 2009 की अवधि हेतु निरंतर विद्युत आपूर्ति के विकल्प वाले 1000 के.वी.ए. से अधिक भार के 50% से अधिक के लोड फैक्टर वाले उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ का पुनः निर्धारण करे। उक्त आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा निरंतर आपूर्ति सरचार्ज मूल्य (Continuous Supply Surcharge Rate) को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। आयोग द्वारा निरंतर आपूर्ति सरचार्ज मूल्य (Continuous Supply Surcharge Rate) में हुई कमी के प्रभाव को अनुभव करते हुए इसे रू0 30 करोड़ रखा है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु यू0पी0सी0एल0 की ए.आर.आर. में उक्त प्रभाव को आंकलित किया गया है। जिससे वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु रू0 61 करोड़ का राजस्व अंतर आता है जो आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये अनुमोदित सम्पूर्ण ए.आर.आर. रू0 2,348.99 का लगभग 3% है। इस प्रकार आयोग द्वारा उपभोक्ताओं के फुटकर दरों में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
- उक्त अनुमोदित रू0 2348.99 करोड़ की ए0आर0आर0 धनराशि तथा वर्ष 2010-11 हेतु 6384 एम0यू0 की प्रक्षेपित बिक्री के फलस्वरूप यूपीसीएल हेतु विद्युत आपूर्ति की औसत रू0 3.68 प्रति यूनिट आंगणित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 के टैरिफ आर्डर के मुख्य अंश :-

- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) उपभोक्ताओं की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
- हिमाच्छादित क्षेत्र के उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
- सभी श्रेणी के मीटरीकृत उपभोक्ताओं के स्थिर प्रभार पूर्ववत् रखे गये हैं।
- मीटरिंग को प्रोत्साहित किये जाने हेतु अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की सपाट दरों में वृद्धि की गई है।
- विद्युत के अनावश्यक उपभोग को हतोत्साहित किये जाने हेतु आर.टी.एस.-1 के अंतर्गत घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के उपभोग के लिये स्लैबवार मूल्य का प्राविधान करते हुए दरों का निर्धारण निम्नवत् किया गया है :-

❖ प्रथम 100 यूनिट – रू0 2.20 प्रति यूनिट

❖ 101-200 यूनिट तक – रू0 2.40 प्रति यूनिट

❖ 201 से अधिक यूनिट – रू0 2.60 प्रति यूनिट

घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं पर प्रभाव

क्र०	उपभोग	वर्तमान टैरिफ पर बिजली प्रभार	अनुमोदित टैरिफ पर बिजली प्रभार	अंतर (प्रतिशत)
1	100 यूनिट प्रति माह	रू0 220	रू0 220	कोई परिवर्तन नहीं
2	200 यूनिट प्रति माह	रू0 440	रू0 460	5%
3	300 यूनिट प्रति माह	रू0 660	रू0 720	9%

- अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के टैरिफ के अंतर्गत बिजली प्रभार में मात्र 10 पैसे की सामान्य वृद्धि अनुमोदित की गई है।
- दिनांक 01.04.2010 से प्रभावी विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु श्रेणीवार टैरिफ निम्नानुसार है:-

श्रेणीवार टैरिफ

1.1 आर0टी0एस0-1 : घरेलू उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ

Table 1: घरेलू उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ							
क्र0	श्रेणी	वर्तमान		प्रस्तावित		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार
		रु0/माह	रु0/के.डब्ल्यू.एच.	रु0/के.डब्ल्यू./माह	रु0/के.डब्ल्यू.एच	रु0/माह	रु0/के.डब्ल्यू.एच.
1	अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ता (ग्रामीण)	200	शून्य	200	शून्य	250	शून्य
2	मीटरीकृत घरेलू उपभोक्ता						
2.1	जीवन रेखीय उपभोक्ता-गरीबी रेखा से नीचे तथा कुटीर ज्योति के अंतर्गत 1 कि0वॉ0 तथा 30 यूनिट/माह तक की खपत हेतु	शून्य	1.50	शून्य	1.50	शून्य	1.50
2.2	अन्य मीटरीकृत घरेलू उपभोक्ता	i) 4 के.डब्ल्यू.भार तक- रु. 20		24		i) 4 के.डब्ल्यू.भार तक- रु. 20	
		ii) 4 के.डब्ल्यू.भार से अधिक- रु. 40				ii) 4 के.डब्ल्यू.भार से अधिक- रु. 40	
i	100 यूनिट/माह तक		2.20		2.64		2.20
ii	101-200 यूनिट/माह		2.20		2.64		2.40
iii	200 यूनिट/माह से अधिक		2.20		2.64		2.60
3	एकल बिन्दु भारी आपूर्ति	20/के.डब्ल्यू.	2.10	20/के.डब्ल्यू.	2.52	20/के.डब्ल्यू.	2.35

1.2 आर0टी0एस0-1(ए) : बर्फवारी वाले क्षेत्रों हेतु रियायती टैरिफ

तालिका 2 : बर्फवारी वाले क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु रियायती टैरिफ							
क्र0	श्रेणी	वर्तमान		प्रस्तावित		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार
		रु0/माह	रु0/के.डब्ल्यू.एच.	रु0/के.डब्ल्यू./माह	रु0/के.डब्ल्यू.एच	रु0/माह	रु0/के.डब्ल्यू.एच.
1.1	घरेलू	शून्य	1.50	शून्य	1.50	शून्य	1.50
1.2	अघरेलू						
i	1 किलोवॉट तक	शून्य	1.50	शून्य	1.50	शून्य	1.50
ii	1-4 किलोवॉट तक	शून्य	2.00	शून्य	2.00	शून्य	2.00
iii	4 किलोवॉट से अधिक	शून्य	3.00	शून्य	3.00	शून्य	3.00

1.3 आर0टी0एस0-2 : अघरेलू उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ

Table 3: अघरेलू उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ								
क्र0	श्रेणी	वर्तमान		प्रस्तावित		अनुमोदित		
		बिजली प्रभार (रु0/के.डब्ल्यू.एच)	स्थिर प्रभार (रु0/के.डब्ल्यू./माह)	बिजली प्रभार (रु0/के.डब्ल्यू.एच)	स्थिर प्रभार (रु0/के.डब्ल्यू./माह)	बिजली प्रभार (रु0/के.डब्ल्यू.एच)	स्थिर प्रभार (रु0/के.डब्ल्यू./माह)	न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार (संविदाकृत भार के.वी.ए.एच./के.वी.ए.)
1.1	सरकारी/म्यूनिसिपल अस्पताल, सरकारी/सरकारी सहायतित शिक्षण संस्थान एवं धर्मार्थ संस्थाओं जो आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत हों एवं जिनकी आय इस अधिनियम के अधीन करमुक्त हो							
i	ए. 25 किलोवॉट तक	3.20	20	3.84	24	3.30	20	
ii	बी. 25 किलोवॉट से अधिक	3.10/के.वी.ए.एच	20	3.48	24	3.00/के.वी.ए.एच	20	75 के.वी.ए.च/के.वी.ए./माह 900 के.वी.ए.च/के.वी.ए./वर्ष
1.2	वाणिज्यिक उपभोक्ता							
	ए. 25 किलोवॉट तक	3.90	20	4.68	24	4.00	20	
	बी. 25 किलोवॉट से अधिक	3.90/के.वी.ए.एच.	20	4.68/के.वी.ए.एच.	24	4.00/के.वी.ए.एच.	20	75 के.वी.ए.च/के.वी.ए./माह 900 के.वी.ए.च/के.वी.ए./वर्ष
1.3	एकल बिन्दु भारी आपूर्ति					3.80/के.वी.ए.एच.	20	75 के.वी.ए.च/के.वी.ए./माह 900 के.वी.ए.च/के.वी.ए./वर्ष

1.4 आर0टी0एस0-3 : पब्लिक लैम्प्स हेतु टैरिफ

क्र0	श्रेणी	वर्तमान			प्रस्तावित			अनुमोदित		
		स्थिर प्रभार	अनुरक्षण प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	अनुरक्षण प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	अनुरक्षण प्रभार	बिजली प्रभार
		(रु0/के.डब्ल्यू./माह)	(रु0/प्वाइंट/माह)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)	(रु0/के.डब्ल्यू./माह)	(रु0/प्वाइंट/माह)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)	(रु0/के.डब्ल्यू./माह)	(रु0/प्वाइंट/माह)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)
1	पब्लिक लैम्प्स	15	10	3.20	18	12	3.84	15	10	3.30

1.5 आर0टी0एस0-4 : निजी नलकूप/पंप सेट हेतु टैरिफ

क्र0	श्रेणी	वर्तमान		प्रस्तावित		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार
		(रु0/बी.एच.पी./माह)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)	(रु0/बी.एच.पी./माह)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)	(रु0/बी.एच.पी./माह)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)
1	अमीटरिकृत	130	शून्य	156	शून्य	*150	शून्य
2	मीटरिकृत	शून्य	0.80	शून्य	0.96	शून्य	0.90

* अधिकतम 02 लैम्प्स के लाइटिंग लोड हेतु रु0 20/संयोजन/माह अतिरिक्त

1.6 आर0टी0एस0-5 : सरकारी सिंचाई व्यवस्थाओं (जी0आई0एस0) हेतु टैरिफ

क्र0	श्रेणी	वर्तमान		प्रस्तावित		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार
		(रु0/माह)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)	(रु0/के.डब्ल्यू.)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)	(रु0/के.डब्ल्यू. अथवा के.वी.ए./माह)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)
1	100 बी.एच.पी. तक जी.आई.एस	15/के.डब्ल्यू	3.20	18	3.84	15/के.डब्ल्यू	3.30
2	100 बी.एच.पी. से अधिक जी.आई.एस.	15/के.वी.ए.	2.90/के.वी.ए.एच.	18/के.वी.ए.	3.48/के.वी.ए.एच.	15/के.वी.ए.	3.00/के.वी.ए.एच.

1.7 आर0टी0एस0-6 : पब्लिक वाटर वर्क्स हेतु टैरिफ

क्र0	श्रेणी	वर्तमान		प्रस्तावित		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार
		रु0/के.डब्ल्यू/माह	रु0/के.वी.ए.एच.	रु0/के.डब्ल्यू/माह	(रु0/के.वी.ए.एच.)	रु0/के.डब्ल्यू/माह	रु0/के.वी.ए.एच.
1	पब्लिक वाटर वर्क्स	15	2.90	18	3.48	15	3.00

1.8 आर0टी0एस0-7 : उद्योग

Table 8: एल0टी0 उद्योग हेतु टैरिफ

क्र0	श्रेणी	वर्तमान टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ			अनुमोदित टैरिफ		
		स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	एम0सी0जी0	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	एम0सी0जी0	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	एम0सी0 जी0
		(रु0/के.डब्ल्यू./माह)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)	(रु0/के.डब्ल्यू./माह)	(रु0/के.डब्ल्यू./माह)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)	(रु0/के.डब्ल्यू./माह)	(रु0/के.डब्ल्यू./माह)	(रु0/के.डब्ल्यू.एच.)	संविदाकृत भार का के.डब्ल्यू.एच./के.डब्ल्यू.अथवा के.वी.ए.एच./के.वी.ए.
1	25 के.डब्ल्यू. तक	80	3.15/के.डब्ल्यू.एच.	75 के.डब्ल्यू.एच./के.डब्ल्यू./माह 900 के.डब्ल्यू.एच./के.डब्ल्यू./वर्ष	96	3.78/के.डब्ल्यू.एच.	75 के.डब्ल्यू.एच./के.डब्ल्यू./माह 900 के.डब्ल्यू.एच./के.डब्ल्यू./वर्ष	80	3.25	*75 के.डब्ल्यू.एच./के.डब्ल्यू./माह 900 के.डब्ल्यू.एच./के.डब्ल्यू./वर्ष
2	25 के.डब्ल्यू. से अधिक	80	2.85/के.डब्ल्यू.एच.	75 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह 900 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./वर्ष	96	3.42/के.डब्ल्यू.एच.	75 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह 900 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./वर्ष	80	2.95/के.वी.ए.एच.	75 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह 900 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./वर्ष

* आटा चक्कियों हेतु 40 के.डब्ल्यू.एच./के.डब्ल्यू./माह एवं 480 के.डब्ल्यू.एच./के.डब्ल्यू./वर्ष

Table 9: एच0टी0 उद्योग हेतु टैरिफ

क्र0	श्रेणी	लोड फैक्टर	वर्तमान टैरिफ			प्रस्तावित टैरिफ		
			बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	एम0सी0जी0 भार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	एम0सी0जी0 भार
			रु0/के.वी.ए.एच.	रु0/के.वी.ए.		रु0/के.वी.ए.एच.	रु0/के.वी.ए.	
1	88 के.वी.ए./75 के.डब्ल्यू. (100 बी.एच.पी.) से अधिक के संविदाकृत भार वाले एच0टी0 उद्योग							
1.1	1000 के.वी.ए. तक के संविदाकृत भार	33% तक	2.50	बिल योग्य मांग का 160	110 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह	3.00	बिल योग्य मांग का 192	110 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह
		33% से अधिक एवं 50% तक	2.75			3.30		
		50% से अधिक	3.00			3.60		
1.2	1000 के.वी.ए. से अधिक के संविदाकृत भार	33% तक	2.50	बिल योग्य मांग का 220	1320 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./वर्ष	3.00	बिल योग्य मांग का 264	1320 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./वर्ष
		33% से अधिक एवं 50% तक	2.75			3.00		
		50% से अधिक	3.00			3.60		

Table 10: एच0टी0 उद्योग हेतु अनुमोदित टैरिफ

क्र0	श्रेणी	बिजली प्रभार		स्थिर प्रभार	एम0सी0जी0 **
		रु0 / केवीएच	रु0 / केवीएच	रु0 / केवीए / माह	
1	88 केवीए / 75 के.डब्ल्यू (100 बी.एच.पी.) तक के संविदाकृत भार वाले एच0टी0 उद्योग	लोड फैक्टर #			
1.1	1000 केवीए तक के संविदाकृत भार	33% तक	2.60	बिल योग्य मांग का 160	110 केवीएच / केवीए / माह
		33% से अधिक एवं 50% तक	2.85		
		50% से अधिक	3.10		
1.2	1000 केवीए से अधिक के संविदाकृत भार	33% तक	2.60	*बिल योग्य मांग का 220	1320 केवीएच / केवीए / वर्ष
		33% से अधिक एवं 50% तक	2.85		
		50% से अधिक	3.10		

* 'बिल योग्य मांग' से तात्पर्य अधिकतम वास्तविक मांग अथवा संविदाकृत भार का 80%, जो भी अधिक हो।

** न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार, स्थिर/मांग प्रभार के अतिरिक्त होगा एवं उस माह के दौरान उपभोग कम होने की दशा में प्रभारित होगा तथा वार्षिक आधार पर समयोजित होने का विषय होगा।

टैरिफ के उद्देश्य से लोड फैक्टर (%) =

$$\frac{\text{बिल योग्य अवधि के दौरान उपभोग}}{\text{अधिकतम मांग अथवा संविदाकृत मांग, जो भी कम हो}} \times \text{बिलिंग अवधि के घंटों की संख्या} \times 100$$

1.9 आर0टी0एस0-8 : मिश्रित भार

Table 11: मिश्रित भार हेतु टैरिफ

क्र0	श्रेणी	वर्तमान		प्रस्तावित		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार
		रु0 / के.डब्ल्यू/ माह	रु0 / के.डब्ल्यू.एच.	रु0 / के.डब्ल्यू/ माह	रु0 / के.डब्ल्यू.एच.	रु0 / के.डब्ल्यू/ माह	रु0 / के.डब्ल्यू.एच.
1	मिश्रित भार	20	3.00	24	3.60	20	3.10

1.10 आर0टी0एस0-9 : रेलवे ट्रैक्शन

Table 12: रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

क्र0	श्रेणी	वर्तमान		प्रस्तावित		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार	स्थिर प्रभार	बिजली प्रभार
		रु0 / के.वी.ए/ माह	रु0 / के.वी.ए.एच.	रु0 / के.वी.ए/ माह	रु0 / के.वी.ए.एच.	रु0 / के.वी.ए. / माह	रु0 / के.वी.ए.एच.
1	रेलवे ट्रैक्शन	160	3.00	192	3.60	160	3.10